कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/बजट/बी–4/25577/2019–20/ दिनांक :– 10/06/2019

समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा विभाग।

विषय :– बजट मांग एवं व्यय के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश वर्ष 2019–20

—0—

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.04.2019 के द्वारा समस्त अधिनस्थ कार्यालयों/विद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रथम 04 माह हेतु वेतन का बजट आवंटन जारी करते हुए उसके व्यय के लिये आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। तत्पश्चात् इस कार्यालय के अन्य पत्र दिनांक 15.04.2019 के द्वारा समस्त विद्यालयों को (पीईईओ सहित) 01 संवेतन के अतिरिक्त अन्य उपमद यथा यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय तथा प्रयोगशाला सम्बन्धी व्यय के लिये शाला दर्पण पोर्टल पर नया मॉड्यूल स्थापित करते हुए मांग करने के लिये प्रपत्र ऑनलाईन उपलब्ध कराया गया था। पूर्व में जारी समस्त आदेश परिपत्र तथा उपलब्ध कराये गये शाला दर्पण मॉडयूल के बारें में नीचे लिखेनुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. समस्त विद्यालयों को 01 संवेतन में चालू वर्ष के लिये 04 माह हेतु वेतन का बजट आवंटन जारी किया हुआ है। यदि किसी विद्यालय को अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है तो वह शालादर्पण मॉड्यूल पर माध्यमिक शिक्षा के लेखामदों हेतु तथा पीईईओ सम्बन्धी लेखामदों हेतु मांग कर सकते हैं। वेतन की मांग बिल बनाने से एक सप्ताह पहले कर ली जावे तथा 02 दिन का इन्तजार अवश्य करें, निदेशालय द्वारा यथा समय मांग को जांच कर बजट ऑनलाईन **IFMS** पर आवंटित कर दिया जावेगा।
2. जिन लेखामदों में संवेतन हेतु केन्दीय सहायता (**CA**) तथा राज्य निधि (**SF**) दोनों में बजट आवंटित किया हुआ हैं, उनमें आवंटित बजट के अनुपात के अनुसार ही राशि का व्यय किया जावे। कई बार विद्यालय केवल **CA** में या केवल **SF** में ही राशि का व्यय करते जाते हैं एवं अतिरिक्त मांग करते रहते हैं, ऐसे में राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही यह भी निर्देश है कि निदेशालय द्वारा यदि केवल **CA** में या **SF** किसी में भी आवंटन किया जाता है तो उसका व्यय कर लिया जावे। किसी एक ही मद के लिये बार–बार मांग नहीं की जावे।
3. यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा मदों के लिये शाला दर्पण पर मांग की जावे, विभाग द्वारा यथाशीघ्र ही इनका निस्तारण किया जायेगा तथा उपलब्ध बजट के आधार पर समानुपातिक रूप से सभी विद्यालयों को बजट आवंटन जारी कर दिया जावेगा। जिन विद्यालयों को गत वर्ष में यात्रा व्यय तथा चिकित्सा व्यय में कोई आवंटन जारी नहीं हुआ है, उन विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन जारी किया जायेगा।
4. चिकित्सा व्यय की मांग शाला दर्पण मॉड्यूल पर केवल साधारण एवं राजकीय चिकित्सालय के प्रकरणों में ही की जावे तथा अनुमोदित एवं निजी चिकित्सालयों तथा राज्य से बाहर के चिकित्सालयों में कराये गये ईलाज के पुनःभरण हेतु गत वर्षों की भांति ही प्रकरणों का पूर्ण परीक्षण नियमानुसार सम्बन्धित **CDEO** अथवा **DEO(HQ)** कार्यालय से नियमानुसार करवाकर ही डाक से प्रकरणों को भिजवाया जावे। गंभीर रोगों के प्रकरणों हेतु मांग शाला दर्पण पर नहीं की जानी हैं।
5. प्रयोगशाला मद के लिये ऐसे विद्यालय जहां विज्ञान विषय संचालित है, केवल वे विद्यालय ही न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मांग मॉड्यूल मे करें ताकि उन्हें राशि का आवंटन किया जा सके। इसके लिये अलग से मांगपत्र डाक से भिजवाने की आवश्यकता नहीं हैं। तथा शालादर्पण पर मांग पत्र प्राप्त होने पर **IFMS** पर ऑनलाईन आवंटन जारी कर दिया जायेगा।

6. अन्य उपमदों यथा कार्यालय व्यय, पुस्तकालय व्यय, वर्दियां, भवन किराया आदि में गत वर्षों की भांति ही निदेशालय द्वारा यथाशीघ्र ही बजट का आवंटन IFMS पर ऑनलाईन आवंटन जारी कर दिया जायेगा।

अतः सभी अधिनस्थ विद्यालयों से यह भी आग्रह है कि वे बार–बार पत्र व्यवहार नहीं करके IFMS पर तथा विभाग की वेबसाईट पर बजट आवंटन के आदेश देखते रहें। निदेशालय के ध्यान में यह भी आया है कि कई संस्था प्रधान अपने अधिनस्थ शिक्षकों/कार्मिकों का वेतन समय पर आहरण नहीं करते हैं जिससे अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता हैं एवं कई शिक्षक/कार्मिक निदेशालय में वेतन हेतु गुहार लगाते हैं। अतः निर्देश दिये जाते है कि समस्त संस्था प्रधान अपने अधिनस्थ कार्मिकों/शिक्षकों का वेतन समय पर नियमानुसार आहरण करना सुनिश्चित करावें।

(ब्रह्मदत्त शर्मा)
वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/बजट/बी–4/25577/2019–20/ दिनांक :– 10/06/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग......................
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी....................................
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा...................
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा...................
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी..
6. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन को उक्त परिपत्र आगामी शिविरा के अंक में प्रकाशन हेतु।
7. सिस्टम एनालिस्ट उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
8. प्रभारी अधिकारी, शालादर्पण प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा।
9. समस्त ग्रुप प्रभारी, बजट अनुभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर